न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

मु0न0 [illegible]/24 उनवान घनश्याम वगै. बनाम राजस्थान सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.05.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित अप्रार्थी से दिनांक 28.05.2024 को रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जो शामिल पत्रावली की गई है। मुताबिक रिपोर्ट खसरा नम्बर 124,125,126,128, 303 कुल किता 05 कुल रकबा 11.0390 ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। मुताबिक रिकार्ड प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान पूर्व में करवा लिया गया है एवं पत्थरगढी सीमाज्ञान की शर्तो के अनुसार करवाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा जमाबन्दी नक्शा ट्रेस व तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार रिपोर्ट का सुक्ष्मता से अवलोकन किया गया व प्रार्थीगण को मौखिक सुना गया। मेरे विनम्र मत में प्रकरण में सीमाज्ञान की शर्तो के आधार पर उपरोक्त वर्णित भूमि की पूर्व में किये गये सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार लालसोट को आदेश दिया जाता है कि राजस्व टीम का गठन कर उपरोक्त वर्णित [illegible]जीयात भूमि खसरा नम्बर 124,125,126,128, 303 [illegible] किता 05 कुल रकबा 11.0390 ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा का रिपोर्ट की शर्त के अनुसार मौके पर जाकर सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी कायम [illegible] जावे एवं [illegible] देय राजकीय शुल्क प्रार्थी [illegible] किया जावे। [illegible] की तहरीर तहसीलदार लालसोट को [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा (राज0	

Scanned with CamScanner